

**अनुदान संख्या 36 – भारतीय लेखा परीक्षा और लेखा विभाग**  
**GRANT No. 36-INDIAN AUDIT AND ACCOUNTS DEPARTMENT**

		कुल अनुदान या विनियोग Total grant or appropriation	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत— Saving -  (हजार रुपयों में) (In thousands of rupees)
<b>राजस्व:</b>	<b>Revenue:</b>			
प्रभारित—	Charged-	200,00,00	192,90,37	-7,09,63
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि	Amount surrendered during the year			3,83,00
स्वीकृत—	Voted-	5209,97,00	5159,15,47	-50,81,53
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि	Amount surrendered during the year			42,76,00
<b>पूंजीगत:</b>	<b>Capital:</b>			
स्वीकृत—	Voted-			
मूल	Original	24,95,00		
पूरक	Supplementary	30,00,00	54,95,00	14,79,75
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि	Amount surrendered during the year			-40,15,25
				33,60,00

**टीका और टिप्पणियां**

**Notes and comments**

1. अनुदान के के राजस्व भाग के प्रभारित अंश में बचतें निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत हुईं।

1. In the *charged* portion of the revenue section of the grant, saving occurred under the following major head:-

		(लाख रुपयों में) (In lakhs of rupees)		
शीर्ष	Head			
मुख्य शीर्ष "2016" लेखा परीक्षा	Major Head "2016" Audit			
₹	O.	20000.00		
₹	R.	-383.00	19617.00	19290.37
				-326.63

(I) "भारत के नियंत्रक और महालेखापरीक्षक – मुख्यालय कार्यालय" के अंतर्गत – ₹684.35 लाख बचत (₹19482.00 लाख के स्वीकृत विनियोग की तुलना में) कोविड-18 महामारी के कारण भर्ती प्रक्रिया में विलंब के कारण हुई।

(I) Under "Comptroller and Auditor General of India – Headquarters Office" – saving of ₹684.35 lakhs (against the sanctioned appropriation of ₹19482.00 lakhs) was due to delay in recruitment process owing to COVID-19 pandemic.

2. अनुदान के राजस्व भाग के स्वीकृत अंश में बचतें/अधिक व्यय निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत हुई/हुए:— In the voted portion of the revenue section of the grant, savings/excess occurred under the following major head: -

शीर्ष	Head	कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत— Saving - (लाख रुपयों में) (In lakhs of rupees)
मुख्य शीर्ष "2016" लेखा परीक्षा	Major Head "2016" Audit			
मू.	O.	520997.00		
पु.	R.	-4276.00		
		516721.00	515915.47	-805.53

(I) "सिविल लेखा परीक्षा और लेखा कार्यालय" के अंतर्गत बचतें निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत हुईं:

(I) Under "Civil Audit and Accounts Offices" – savings occurred under the following heads: -

(का) सिविल लेखा परीक्षा कार्यालय – ₹1966.56 लाख की बचत (₹270251.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में)।

(A) "Civil Audit Offices" - saving of ₹1966.56 lakhs (against the sanctioned provision of ₹270251.00 lakhs);

(खा) "सिविल लेखा कार्यालय" – ₹1861.42 लाख की बचत (₹163862.60 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में); और

(B) "Civil Accounts Offices" – saving of ₹1861.42 lakhs (against the sanctioned provision of 163862.60 lakhs); and

(II) "डाक और दूरसंचार लेखा परीक्षा कार्यालय – फ़ील्ड कार्यालय" के अंतर्गत ₹759.78 लाख की बचत (₹16232.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में)।

(II) Under "Posts and Telecommunications Audit Offices – Field Offices" – saving of ₹759.78 lakhs (against the sanctioned provision of ₹16232.00 lakhs).

उपर्युक्त तीन शीर्षों के अंतर्गत बचतें भर्ती प्रक्रिया में देरी, छुट्टी यात्रा रियायत के कम दावे प्राप्त होने, लैपटाप खरीद के विकेंद्रीकरण करने, कोविड-19 महामारी के कारण कम दौरे करने और वित्त मंत्रालय द्वारा व्यय पर प्रतिबंध लगाने के कारण हुईं।

Savings under the above three heads were due to delay in recruitment process, receipt of less LTC claims, decentralization of procurement of laptops, less tours undertaken owing to COVID-19 pandemic and restriction of expenditure by Ministry of Finance.

(III) "रेलवे लेखा परीक्षा कार्यालय – फ़ील्ड कार्यालय" के अंतर्गत – ₹1756.47 लाख की बचत (₹29152.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में, कोविड-19 महामारी के कारण भर्ती प्रक्रिया में देरी, छुट्टी यात्रा रियायत के कम दावे प्राप्त होने और कम दौरे करने के कारण हुई।

(IV) एक शीर्ष के अंतर्गत ₹444.58 लाख की बचत हुई जो स्वीकृत प्रावधान का 25 प्रतिशत है।

2. उपर्युक्त बचतें आंशिक रूप से "वाणिज्यिक लेखा परीक्षा कार्यालय – फ़ील्ड कार्यालय" के अंतर्गत महंगाई भत्ते पर रोक हटाने और अवसंरचना सुविधाओं पर अतिरिक्त निधियों की आवश्यकता के कारण हुए ₹2082.34 लाख के अधिक व्यय (₹21567.30 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) द्वारा प्रतिसंतुलित हो गईं।

3. अनुदान के पूंजीगत भाग में, कुल बचतें (₹4015.25 लाख) मार्च, 2022 में प्राप्त किए गए ₹3000.00 लाख के पूरक अनुदान से अधिक हो गईं और कुल स्वीकृत प्रावधान का 73 प्रतिशत थी।

बचतें निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत हुईं:-

(III) Under "Railway Audit Offices – Field Offices" – saving of ₹1756.47 lakhs (against the sanctioned provision of ₹29152.00 lakhs) was due to delay in recruitment process, receipt of less LTC claims and less tours undertaken owing to COVID-19 pandemic.

(IV) Under one head saving of ₹444.58 lakhs occurred constituting 25 percent of the sanctioned provision.

2. The above savings were partly offset by excess under the head "Commercial Audit Offices – Field Offices" – excess of ₹2082.34 lakhs (against the sanctioned provision of ₹21567.30 lakhs) was due to de-freezing of dearness allowance and requirement of additional funds towards infrastructure facilities.

3. In the capital section of the grant, the over all savings (₹4015.25 lakhs) exceeded the supplementary grants of ₹3000.00 lakhs obtained in March, 2022 and constituted 73 percent of the total sanctioned provision.

Savings occurred under the following major heads: -

शीर्ष	Head	कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत— Saving - (लाख रुपयों में) (In lakhs of rupees)
मुख्य शीर्ष "4059" लोक निर्माण कार्य पर पूंजीगत परिव्यय	Major Head "4059" Capital Outlay on Public Works			
मू.	O.	1400.00		
पु.	R.	-197.00	1203.00	716.31
				-486.69
मुख्य शीर्ष "4216" आवास पर पूंजीगत परिव्यय	Major Head "4216" Capital Outlay on Housing			
मू.	O.	1095.00		
पू.	S.	3000.00	932.00	763.44
पु.	R.	-3163.00		-168.56

(I) मुख्य शीर्ष "4216" – "सरकारी आवासीय भवन – आईए एंड एडी के कर्मचारियों के लिए आवासीय योजनायें— तैयार बने फ्लैटों का अधिग्रहण" के अंतर्गत – ₹1095.00 लाख का मूल प्रावधान में ₹3000.00 लाख का पूरक अनुदान प्राप्त करके ₹4095.00 लाख तक बढ़ाया गया। तथापि, ₹3331.56 लाख की बचत (पूरक अनुदान सहित) आईए एंड एडी की एनबीसीसी आवासीय परियोजना को अंतिम रूप नहीं दिए जाने और केंद्रीय लोक निर्माण विभाग द्वारा कार्य पूरा नहीं करने के कारण हुई।

(II) मुख्य शीर्ष "4059" – "कार्यालय भवन –अन्य व्यय – तैयार बने आवास का अधिग्रहण" के अंतर्गत – ₹683.69 लाख की बचत (₹1400.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) केंद्रीय लोक निर्माण विभाग द्वारा कार्य पूरा नहीं होने के कारण हुई।

(I) Under Major Head "4216" - "Government Residential Buildings – Housing Schemes for employees of IA&AD – Acquisition of ready built flats" – the original provision of ₹1095.00 lakhs was augmented to ₹4095.00 lakhs by obtaining supplementary grant of ₹3000.00 lakhs. However, there was a saving of ₹3331.56 lakhs (including supplementary grant) – due to non-finalization of NBCC housing project of IA&AD and non-completion of works by Central Public Works Department.

(II) Under Major Head "4059" – "Office Buildings – Other Expenditure – Acquisition of ready built Accommodation" – saving of ₹683.69 lakhs (against the sanctioned provision of ₹1400.00 lakhs) was due to non-completion of works by Central Public Works Department.